फर्जीवाड़ा | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और आयकर विभाग से शिकायत, महिला स्व-सहायता समूह की राशि हड़पने व आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग

बीपीएल कार्डधारी पर करोड़ों की संपत्ति जुटाने का आरोप

जमुना कोतमा, नवभारत 20 मई। जिले के ग्राम छिल्पा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्राम निवासी सुखनिधान साहू ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा आयकर विभाग को लिखित शिकायत भेजकर अभिमन्यु कुमार साहू पर महिला स्व-सहायता समूहों की अनुदान राशि के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने तथा शासकीय योजनाओं में अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

अनुदान राशि का किया दुरुपयोग

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में शिकायतकर्ता सुखनिधान साहू ने आरोप लगाया है कि अभिमन्यु कुमार साहू द्वारा आरती स्व-सहायता समूह, विश्वकर्मा स्व-सहायता समूह एवं जय मां लक्ष्मी स्व-सहायता समूह' की महिलाओं को मिलने वाली अनुदान राशि का दुरुपयोग किया गया। शिकायत में कहा गया है कि उक्त समूहों को शासन द्वारा महिलाओं के रोजगार एवं आजीविका संवर्धन के उद्देश्य से अनुदान राशि प्रदान की गई थी, लेकिन बैंक से राशि निकलवाकर उसका उपयोग निजी संपत्ति खरीदने में किया गया।

तीन माह की अवधि में खरीदी 24 लाख की जमीन

शिकायत में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि मात्र तीन माह की अवधि 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच लगभग 24 लाख रुपये मूल्य की जमीन खरीदी गई। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि एक बीपीएल कार्डधारी परिवार इतने कम समय में इतनी बड़ी राशि की संपत्ति कैसे अर्जित कर सकता है। इस खरीद को लेकर गांव में भी चर्चाओं का दौर जारी है और लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं

20 कमरों का आलीशान भवन बनवाया

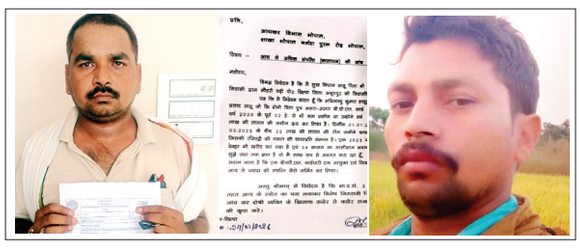

पत्र में दावा किया गया है कि वर्ष 2020 से पहले संबंधित परिवार के पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन थी, लेकिन वर्ष 2021 में लगभग 6 लाख रुपये की भूमि खरीदी गई। इसके बाद वर्ष 2023 में लाखों रुपये मूल्य की तीन जमीनों का क्रय किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इसके अलावा वर्ष 2023 मॉडल का मैसी ट्रैक्टर खरीदा गया तथा लगभग 20 कमरों का आलीशान भवन भी बनवाया गया है।

निष्पक्ष जांच से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त, वाणिज्यिक कर योजना तथा सांख्यिकी विभाग के मंत्री को भेजे गए पत्र में भी इसी प्रकार आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता ने पत्र में कहा है यदि आय के स्रोतों की निष्पक्ष जांच की जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत विशेष निगरानी एवं जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है

पिता-पुत्र दोनों बीपीएल कार्डधारी है

शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि अभिमन्यु कुमार साहू एवं उनके पिता अलग-अलग बीपीएल कार्डधारी हैं और वर्तमान में भी शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पत्र में सवाल उठाया गया है कि एक बीपीएल परिवार इतने कम समय में इतनी बड़ी संपत्ति कैसे अर्जित कर सकता है। शिकायतकर्ता ने इसे गरीब महिलाओं के हक पर डाका बताते हुए मामले की गंभीर जांच की मांग की है

जवाब लेने का किया गया प्रयास

इस संबंध में जब जनपद पंचायत अनूपपुर बदरा के सीईओ रवि ग्वाल से पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, तो उनके मोबाइल पर घंटी जाती रही, लेकिन उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। ऐसे में इस मामले पर उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।

इनका कहना है

अभिमन्यु कुमार साहू को बीपीएल सूची के आधार पर खेत-तालाब, माही बगिया, राशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, यदि वह वर्तमान में बीपीएल सूची के पात्र नहीं हैं या उनकी आर्थिक स्थिति सूची से ऊपर है, तो इसकी जानकारी राजस्व विभाग की जांच से ही स्पष्ट हो सकती है। यह विषय राजस्व विभाग से संबंधित है।

अनिल मिश्रा
सचिव ग्राम पंचायत छिल्पा

6 लाख का 56 किलो गांजा जब्त

सरई चौकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

अनूपपुर नवभारत 20 मई। जिले के थाना करनपठार अंतर्गत चौकी सरई पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 56 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख 60 हजार रुपये बताई गई है।

मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस को 19 मई को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बड़ीतुम्मी स्थित जैन क्रेशर के समीप दतिरहा नाला के पास बरमसिया की झाड़ियों में बोरियों में अवैध गांजा छिपाकर रखा गया है। सूचना के बाद पुलिस ने नियमानुसार पंचनामा कार्यवाही पूरी करते हुए स्वतंत्र साक्षियों को साथ लिया और इलेक्ट्रॉनिक तराजू की व्यवस्था कर मौके के लिए रवाना हुई।

झाड़ियों में छिपाकर रखीं थी बोरियां

मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने बंद पड़े जैन क्रेशर के पास झाड़ियों में झाड़ू के नीचे छिपाकर रखी गई तीन बोरियां बरामद कीं। जांच करने पर तीनों बोरियों में गांजा पाया गया। पुलिस ने गांजे की पहचान कर इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौल कराया, जिसमें पहली बोरी 20.280 किलोग्राम, दूसरी 21.930 किलोग्राम तथा तीसरी 13.880 किलोग्राम पाई गई। कुल मिलाकर 56 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया।

मानव आबादी पर हाथियों का हमला चिंताजनक : सिंह

सांसद ने वन मंत्री से की हाथियों को रेस्क्यू करने की अपील

अनूपपुर नवभारत 20 मई। अनूपपुर एवं शहडोल जिले के मानव आबादी वाले क्षेत्रों मे जंगली हाथियों के दखल और उससे होने वाले जान माल के नुकसान की खबरों को सांसद हिमाद्री सिंह ने चिंता व्यक्त की है।

हाथियों के हमले से चार लोगो की मौत एवं कुछ लोगों के घायल होने पर गहरा शोक प्रकट करते हुए वन मंत्री दिलीप अहिरवार एवं सीसीएफ से चर्चा करके हाथियों का रेस्क्यू करने और प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा देने को कहा है। छत्तीसगढ़ से लगे जंगली क्षेत्रों से होकर मध्यप्रदेश के सीमावर्ती अनूपपुर और शहडोल जिलों मे पिछले चार माह

से चार हाथियों का समूह निरंतर अलग-अलग क्षेत्रों मे भ्रमण कर रहा है। हाथियों के इस समूह मे एक नर हमलावर हाथी भी है।

रेस्क्यू की अनुमति शीघ्र दी जाए

सांसद हिमाद्री सिंह ने ग्रामीणों से मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग के आला अधिकारियों और वन मंत्री से सीधे बात कर लोगों को हाथियों से हो रही समस्याओं एवं संसदीय क्षेत्र मे हाथियों के हमलों से लोगों को हो रहे नुकसान से अवगत करवाते हुए अपील की कि अनूपपुर और शहडोल जिले से वन्य हाथियों को रेस्क्यू करके अन्यत्र ले जाया जाए। इस हेतु अनुमति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।

मृतकों के परिजनों को दिया जाए मुआवजा

सांसद ने हाथी के हमले से मृत हुए लोगों के परिजनों, घायलों को शीघ्र पूरा मुआवजा देने, फसल, घर, सम्पत्ति नुकसान का आंकलन कर उसकी क्षतिपूर्ति शीघ्र करने तथा हाथियों की आबादी मे आवाजाही रोकने के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। सांसद ने हाथियों की बढ़ती समस्याओं को चिंताजनक बताते हुए इसके स्थायी व्यवस्था की मांग की गयी है।

जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों को 15 जून तक करे पूरा : कलेक्टर

अनूपपुर नवभारत। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत खेत तालाब के प्रगतिरत कार्यों को अभियान मोड मे पूर्णता 15 जून तक सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री अमर साय राम, जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के योजना प्रभारी, आजीविका मिशन के डीपीएम, सहायक यंत्री, उप यंत्री एवं अन्य संबंधित जन उपस्थित रहें। कलेक्टर ने निर्माण कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित स्टैंडर्ड साइज का साइन बोर्ड आवश्यक रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।

योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने की मंशा : रौतेल

अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग ने की विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा

अनूपपुर नवभारत 20 मई। अनूपपुर जिला जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए सभी विभागीय अधिकारी शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। शासन की मंशा अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है, इसलिए किसी भी हितग्राही को योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।

जिले में संचालित योजनाओं की नियमित एवं व्यवस्थित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे।

बुधवार को अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रामलाल रौतेल कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहीं।

नल-जल योजना की समीक्षा की

अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रधानमंत्री नल-जल योजना के तहत जिले में संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जानकारी दी कि जिले में कुल 568 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें 432 एकल ग्राम परियोजनाएं तथा 110 परियोजनाएं जल जीवन मिशन निगम के माध्यम से स्वीकृत की गई हैं।

लाभान्वित हितग्राहियों की दी जानकारी

आयोग के अध्यक्ष ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के दौरान जानकारी दी कि जिले में कुल 1175 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 26 आंगनबाड़ी केंद्र प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। बैठक में लाड़ली लक्ष्मी योजना, बाल आशीर्वाद योजना, लाड़ली बहना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

एक नजर में

तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य का सीईओ ने किया निरीक्षण

अनूपपुर नवभारत। जिले के जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत सुलखारी, लपटा, मुंडा, महुदा में चल रहे तेंदूपत्ता तोड़ाई एवं संग्रहण कार्य का जिला पंचायत की सीईओ अर्चना कुमारी ने पेसा एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत औचक निरीक्षण किया। जहां संग्रहण केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संग्राहकों से सीधा संवाद किया। संग्राहकों से तोड़ाई की दर, गड्डी बनाने के मानक, भुगतान की स्थिति के बारे में विस्तार से पूछताछ की। कई संग्राहकों ने बताया कि इस वर्ष मौसम अनुकूल होने से पत्तों की गुणवत्ता अच्छी है। जिला पंचायत सीईओ ने संग्राहकों को पेसा एक्ट के तहत मिले अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट के लागू होने के बाद ग्राम सभाएं तेंदूपत्ता के व्यापार की मालिक हैं। ग्राम सभा द्वारा तय दर पर ही संग्रहण हो और व्यापार से प्राप्त लाभांश का वास्तविक हक संग्राहकों को मिले, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

अवैध से गांजा बेचने पर 4 आरोपियों को 3-3 साल का कारावास, 20,000 का जुर्माना

अनूपपुर नवभारत 20 मई। जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने थाना कोतवानी के एनडीपीएस एक्ट में अवैध रुप से गांजा रखने वाले 4 आरापियों सुनील भताडा, संजीत भताडा, हरावती एवं संतोष गोस्वामी को 3-3 साल का कारावास एंव 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई हैं। लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया गया कि घटना 29 .नवंबर 2022 को थाना कोतवाली अनूपपुर अंतर्गत ग्राम-खाडा में सुनील भताडा, संजीत भताडा, हरावती हरिजन के बैग से 04 किलोग्राम अवैध गांजा एवं संतोष गोस्वामी के पास 03 किलो 500 ग्राम विक्रय के लिए रखा था। पुलिस ने संतोष गोस्वामी के घर में एक महिला व दो पुरूष के गांजा बिक्री करने की सूचना के पर दबिश देकर आरोपियो के पास अवैध गांजा पाया गया, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां सुनवाई के दौरान रखे गये साक्ष्य और न्यायिक विज्ञान प्रयोग शाला की रिपोर्ट पर विचारण उपरांत चारों आरोपियों को सजा सुनाई गई

तेंदूपत्ता का अवैध परिवहन करते 10 बोरा जब्त

अनूपपुर नवभारत। जिला मुख्यालय में मंगलवार-बुधवार की रात वन विभाग ने रेलवे स्टेशन अपूपपुर में अवैधानिक रूप से परिवहन किया जा रहा 10 बोरा तेंदूपत्ता को जब्त कर रेल पुलिस के हवाले किया, जबकि सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण बिलासपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन में भरकर तेंदूपता ले जाने में सफल रहे। ज्ञात हो कि हर वर्ष दमोह और सागर जिले से भारी संख्या में अनूपपुर के ग्रामीण अंचलों से अवैधानिक रूप से बहुमूल्य वनोपज तेंदूपता का अवैधानिक रूप से ट्रेन से परिवहन रेल पुलिस की शह पर करते हैं। मंगलवार-बुधवार की रात को जागरूक नागरिक संदीप दीक्षित एवं वन्यजीव संरक्षक शशिधर अग्रवाल की सूचना की वन विभाग ने अनूपपुर रेलवे स्टेशन में अवैधानिक रूप से तेंदूपत्ता परिवहन किया जा रहा। वन विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन में छापामारी करते हुए 10 बोरा तेंदूपत्ता जब्त कर रेल पुलिस के हवाले किया।

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बंद रहा सफल

जिले के 210 दवा विक्रेताओं ने दुकानों के शटर नहीं खोले

अनूपपुर नवभारत 20 मई। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले सहित देश भर में बुधवार को दवा विक्रेताओं ने सामूहिक रुप से अपनी दुकानों के शटर बन्द रखे। जिले मुख्यालय अनूपपुर, कोतमा, बिजुरी, राजेन्द्रग्राम, बिजुरी, राजनगर, चचाई सहित ग्रमीण क्षेत्रों की 210 दवा दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं।

केमिस्टों का आरोप है कि ई-फार्मेसी और क्विक कॉमर्स कंपनियों की मनमानी से न सिर्फ उनका व्यापार चौपट हो रहा है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपर कलेक्टर दिलीप पांडेय से भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। देश में अवैध एवं अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ केमिस्टों का गुस्सा फूट पड़ा है।

स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे

ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बुधवार को देशभर के दवा व्यवसायियों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी। जिसके समर्थन में जिले के सभी छोटे-बड़े दवा दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया। सुबह से ही बाजारों में दवा दुकाने बंद होने से लोग दवा के लिए भटकते रहें।

कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

दवा संघ के पदाधिकारियों, सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को बुलंद करते नजर आए। मध्य प्रदेश राज्य केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के मार्गदर्शन में अनूपपुर जिले के केमिस्ट और ड्रगिस्ट भी इस आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान जिला दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष राजेश जैन, सचिव दीपक सोनी, महेन्द्र गुप्ता, मनोज शुक्ला, सत्य प्रकाश पटेल सहित प्रतिनिधिमंडल ने अपर कलेक्टर दिलीप पांडेय से भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

आठवीं-दसवीं पास कर्मचारी डॉक्टर की गैर मौजूदगी में कर रहे इलाज

बीएमओ ने किया खुलासा, डॉ. स्वयांशु दास के निवास का किया था निरीक्षण

अनूपपुर नवभारत 20 मई। अनूपपुर जिले के जैतहरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहरी में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। संविदा चिकित्सक डॉ. स्वयांशु दास पर शासकीय ड्यूटी समय में निजी प्रैक्टिस करने तथा अपने शासकीय निवास में अवैध रूप से मरीजों का इलाज कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

जानकारी के अनुसार डॉ. स्वयांशु दास, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरेला में संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं और वर्तमान में जैतहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संलग्न हैं, उनके निजी निवास में कथित रूप से प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आरोप है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में भी वहां कार्यरत अयोग्य कर्मचारी मरीजों को ड्रिप लगाने, दवाइयां देने और इलाज करने जैसे कार्य खुलेआम कर रहे हैं।

डॉक्टर से फोन पर निर्देश लेकर करते हैं इलाज

मामले की शिकायतों के बाद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. श्याम द्वारा 19 मई को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डॉ. स्वयांशु दास के अवकाश पर रहने के बावजूद उनके निवास पर कर्मचारी मरीजों का इलाज करते मिले। पूछताछ में कर्मचारियों ने बताया कि वे डॉक्टर से फोन पर निर्देश लेकर इलाज करते हैं। बीएमओ की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त कर्मचारी चिकित्सकीय कार्य करने के लिए अयोग्य एवं अपात्र हैं।

आक्रोश | पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह ने दी आंदोलन की चेतावनी, कहा- जनहित से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, तत्काल निर्णय वापस लेने की मांग

परासी से ब्लड जांच केंद्र हटाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश

जमुना कोतमा, नवभारत 20 मई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परासी से सेंट्रल ब्लड जांच केंद्र हटाए जाने की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीणों ने इसे जनहित के खिलाफ निर्णय बताते हुए प्रशासन से तत्काल आदेश वापस लेने की मांग की है। मामले को लेकर पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ब्लड जांच केंद्र को पुन: परासी में संचालित नहीं किया गया तो ग्रामीणों के साथ बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा।

मरीजों को खून की जांच के लिए भटकना पड़ेगा : सिंह

पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह ने कहा कि परासी क्षेत्र आदिवासी एवं ग्रामीण बाहुल्य इलाका है, जहां बड़ी संख्या में गरीब एवं जरूरतमंद लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर रहते हैं। ब्लड जांच केंद्र हटने से मरीजों को जांच के लिए दूर-दराज भटकना पड़ेगा, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा और समय पर उपचार नहीं मिल पाएगा।

गरीब परिवारों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी

ग्रामीणों का कहना है कि ब्लड जांच केंद्र के माध्यम से प्रतिदिन दर्जनों मरीजों की जांच होती थी। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इसका सीधा लाभ मिल रहा था। अब केंद्र हटने से लोगों को निजी लैब या जिला मुख्यालय का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे गरीब परिवारों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं से समझौता स्वीकार नहीं

वीरेंद्र सिंह ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि जल्द निर्णय वापस नहीं लिया गया तो ग्रामीण धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन एवं उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर ग्रामीण एकजुट हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा।

ब्लड जांच केंद्र परासी में संचालित करने की मांग

मामले को लेकर क्षेत्र में लगातार चर्चा हो रही हैं। स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन से संवेदनशीलता दिखाते हुए ब्लड जांच केंद्र को पुन: परासी में संचालित करने की मांग की है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

इनका कहना है

ब्लड जांच केंद्र परासी से नहीं हटाया जा रहा है। मुख्य ब्लड जांच की सुविधा परासी में ही संचालित होती रहेगी। केवल निजी खून जांच, जिसका टेंडर होता है और जिसमें शुल्क लिया जाता है, उसके लिए फूनगा में भवन तैयार हुआ है, उसी को वहां शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। परासी से किसी भी प्रकार की मुख्य स्वास्थ्य सुविधा नहीं हटाई जा रही है

डॉ. धनीराम
बीएमओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूनगा